with the reply given by the hon. Minister. But my supplementary is this: What is the stand that the Government is going to take in the matter before the Supreme Court so that the Schedule Caste students are not affected.

DR. ANBUMANI RAMADOSS: Sir, the case is in the Supreme Court. Earlier, the Government had taken a stand saying that where there was more than one Board, and the State Government desired to do away with the entrance examination, the following procedures could be followed: (i) Allocation of seats on pro-rata basis; (ii) Adopting the percentile system followed in the UPSC and State Public Service Examinations for the purpose of uniform evaluation; and (iii) any other fair and equitable manner. And this is also there in the affidavit which we have given. Then we will be giving examples of the Tamil Nadu Government, which has brought in legislation in the Legislative Assembly, and they have done away with the entrance examination. The Supreme Court has also upheld this decision. If you ask for my personal view – it is not the view of the Department, but my personal view – I am for doing away with the entrance examination. That is harassment of the students that after working all these years and going in for a qualifying examination, they also have an entrance examination. The affluent students, who have the money, go to coaching centres for these entrance examinations. There is a huge racket going on in these coaching centres, and they are making a lot of money. It is only meant for affluent people. The poor and rural students cannot afford it. Personally, my view is that we have a very strict qualifying examination. Take the marks of the qualifying examination, and go through all the procedures. Nevertheless, this should be a collective view. The Government has not taken any view on that. We will be putting forth all these views, including the views of the hon. Member, before the Supreme Court; it is a good suggestion that we have to club the marks of the entrance examination and the qualifying examination, that it could be considered on 60-40 or 50-50 basis. That will also be put before the Supreme Court.

Ship breaking at Alang

*263.SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a ship 'SS Oceanic' carrying 250 tonnes of asbestos, a toxic material, was headed for Alang in Saurashtra coast;

(b) whether it is a fact that Alang Ship Breaking Yard has earned infamy because of its poor handling of toxic waste from dismantled ships; and

(c) if so, the steps Government has taken on both the counts?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILISERS AND THE MINISTER OF STEEL (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The concerned agencies have reported that they have no information about the possible arrival of the ship 'SS Oceanic' at Alang on the Saurashtra coast.

(b) and (c) A series of measures have been taken for attenuating the hazards of ship breaking and for improving the working conditions at shipbreaking yards at Alang. The Hon'ble Supreme Court of India has also issued comprehensive directives in this matter. Consequently, detailed protocols

and procedures have been put in place for scrutinizing ships arriving for breaking and for handling and disposing of hazardous materials and wastes. The concerned nodal agency, the Gujarat Maritime Board has also developed a Treatment, Storage and Disposal Facility, (TSDF) for treatment and disposal of hazardous wastes generated from ship breaking activities at Alang. Moreover, the Gujarat State Pollution Control Board also monitors the handling of hazardous waste.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Sir, with due respects to the hon. Minister, I find the answer quite evasive. He has said that there are concerned agencies. Who are those concerned agencies? What is the mode of getting information? The answers given here show that there is no coordination between these agencies and the authorities, which causes all kinds of problems and leads to a national crisis like the Mumbai terror attack.

श्री राम विलास पासवान: सर, हमारे पास कई एजेंसीज हैं। एक तो राज्य सरकार इसको स्वयं देखती है। इसके अलावा हमारे पास आई.एम.सी. है, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है, उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मंच भी है, जिसमें आई.एल.ओ. है, आई.एम.ओ. है और बेसिल सम्मेलन है जो यू.एन.ओ. के अधीन है। जो सबसे ज्यादा 90 परसेंट शिप ब्रेकिंग होता है वह अलंग में होता है। यों तो पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र में भी है, लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइड लाइन्स तय की हैं, उनके कारण वह पूरे का पूरा ही बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। जो गुजरात मैरीटाइम बोर्ड है और जो गुजरात पॉल्यूशन बोर्ड है, जो नोडल एजेंसी है, वह इसको देखने का काम करती है।

श्री सभापति: Second सप्लीमेंट्री प्लीज।

श्रीमती जया बच्चन: जी, सर मैंने नाम पूछा था मगर मंत्री जी ने कुछ और जवाब दिया है, ठीक है। मेरा second सप्लीमेंट्री है, what are these comprehensive measures directed by the Supreme Court? What is the capacity of the storage facility? And where do they dispose of the hazardous material?

श्री राम विलास पासवान: माननीय सदस्या ने जो कहा है और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं, इनकी संख्या 18 है और ये चार-पांच पेजों में हैं। यदि आप कहें, तो मैं इनको पढ़ सकता हूं।

श्री सभापति: आप ऑनरेबल मैम्बर को भेज दीजिए।

श्री राम विलास पासवान: महोदय, जो दूसरा भाग है, उसके अनुपालन में इस्पात मंत्रालय ने जो किया है, उसमें उच्चतम न्यायालय के दिनांक 06.09.2007 के निर्णय में यह उल्लेख है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 17.07.2008 के आदेश के द्वारा शिप ब्रेकिंग पर तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का निर्देश दिया था। MoEF ने दिनांक 24.03.2006 को सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अध्यक्षता में विभिन्न संगठनों/प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है। समिति ने विभिन्न सिफारिशें की हैं, जिन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 06.09.2007 के निर्णय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 06.09.2007 के निर्णय में कहा है कि भारत सरकार सिफारिशों को शामिल करके एक व्यापक कोड तैयार करेगी और यह तब तक प्रभावी रहेंगे, जब तक कि संबंधित स्थिति को निर्देशों के अनुसार संशोधित नहीं किया जाता। जब तक ये कोड प्रभाव में नहीं आते हैं, दिनांक 06.09.2007 के निर्णय तहत रहेगा। इस्पात मंत्रालय कोड को अंतिम रूप प्रदान कर रहा है, ड्राफ्ट कोड तैयार कर लिया गया है और टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद सितम्बर, 2008 के प्रथम सप्ताह में सभी संबंधित 21 एजेंसियों को परिचालित कर दिए गए हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती जया बच्चन: सर, मैंने जो सवाल पूछा है, यह उसका जवाब नहीं है। मैंने बहुत definite सवाल पूछे हैं।

श्री राम विलास पासवान: आपने दो सवाल पूछे हैं, आपने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है और दूसरा यह है कि हमने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक क्या कार्यवाही की है। जो प्रमुख दिशा निर्देश भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं, Procedure for Anchoring; Procedure for Beaching; Ship Specific Dismantling Plan; Management of Occupational Safety and Health Issues; Handling of Hazardous Materials and Hazardous Wastes; Environmental Monitoring Welfare Issues. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती जया बच्चन: सर, फिर क्वेश्चन ऑवर का मतलब ही क्या हुआ? सर, मैं यह पूछ रही हूं कि ये जो स्टोरेज बनाए गए हैं, उनकी कैपेसिटी क्या है और स्टोरेज में रखने के बाद जो मैटेरियल होता है, उसको आप कहां डिस्पोज करते हैं, क्योंकि यह मैटेरियल बहुत खतरनाक चीज है?

श्री राम विलास पासवान: सर, जो मैटेरियल का सवाल है, आप जानते हैं कि शिप के दाम बढ़ गए हैं। दूसरे जो सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन्स हैं, उनके मुताबिक पहले यह होता था कि बीच के बाहर लाकर शिप को तोड़ देते थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइड लाइन्स में सबसे बड़ी बात यह कही है कि आप शिप को समुद्र में ही रखिए, चूंकि उसमें बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे पेंटिंग्स है, जो हैल्थ के लिए खतरनाक चीज है। इस कारण से यदि आप देखेंगे कि जो हमारे यहां शिप तोड़े जाते थे, उनमें से 1995-96 में 183 तोड़े गए और 2007-08 में 140 शिप तोड़े जा रहे हैं। एक समय में वर्कर्स 35 हजार थे। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Let us go to the next Question. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Sir, I need an answer to my question.

MR. CHAIRMAN: I think, you got an answer. If you wish, you could write to the hon. Minister to seek further amplification. ...*(Interruptions)*... No; we are running out of precious time. There are other supplementaries. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Sir, I want to know the capacity of the storage and the excess that is left, and where do you keep that excess material.

MR. CHAIRMAN: This answer can be conveyed to the hon. Member.

श्री राम विलास पासवान: सभापति जी, मैंने माननीय सदस्या को पहले ही बतला दिया था कि हमारे पास शिप को तोड़ने की जो टोटल कैपेसिटी है, वह 140 शिप्स को तोड़ने की है। इसमें नाइन्टी परसेंट तोड़ने की कैपेसिटी अलंग में है। हमने माननीय सदस्या को बतलाया है कि अलंग में हमारा शिपयार्ड है। ये शिपयार्ड्स चार जगहों पर है - गुजरात, मुंबई, कोलकाता और आंध्र प्रदेश में शिप ब्रेकिंग यार्ड्स हैं। गुजरात में नाइन्टी परसेंट तोड़ा जाता है।

SHRI SYED AZEEZ PASHA: Sir, I would like to know whether the hon. Minister is aware of the Supreme Court judgment in the year 2006 which says that the ship building industry is six times more fatal than the mining industry. Then, there was another report in the year 2005 by the International Federation of Human Rights which says that at Alang, the ship recyclers, 48-60 workers, die each and every year, mainly from explosion and falling plates of steel. It has acclaimed the notoriety and the most vulnerable workforce in the world. There are several villages around that place which consist of widows only. My question to the hon. Minister is, when we are signatories to the Basal Convention, how is it that we are permitting toxic material on our coast and at shipyards like Alang?

Why are we not taking corrective measures urgently as a signatory of the Basal Convention? That is my question.

श्री राम विलास पासवान: जैसाकि मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक सभी सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं। इसमें भारत सरकार का लाइजनिंग का काम है। इसमें हमारा बहुत कम रोल है। हमसे फेसिलिटीज के लिए कहा गया था कि दस करोड़ रुपए दीजिए, हम लोगों ने उन्हें दस करोड़ दिए हैं। जैसाकि मैंने मोनिटरिंग के बारे में बताया कि चार तरह की मोनिटरिंग कमेटीज़ हैं - स्टेट की मोनिटरिंग कमेटी है, इंटर मिनिस्ट्रियल मोनिटरिंग कमेटी है, दो इंटरनेशनल मोनिटरिंग कमेटियां हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि शिप को तोड़ने का जो काम है, उससे वातावरण दूषित होता है। इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन हम लोग सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक चलते हैं। हम अपने मन से कुछ कह दें और उसके बाद वह प्रूव नहीं हो तो वह ठीक नहीं होगा। हम आपसे सहमत हैं कि ये सारे के सारे हेजाड्र्स वहां पर हैं। हमारे पास जो रिपोर्ट आ रही है, उसके मुताबिक सारांश यह है कि इन सारी चीजों के बावजूद जो कदम उठाए गए हैं, उसमें इस प्रकार का कोई बुरा प्रभाव पर्यावरण पर नहीं पड़ा है।

श्री अमर सिंह: सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि एक बेसल एक्शन नेटवर्क है, जो पूरी दुनिया में टॉक्सिक ट्रेड के बारे में सलाह और जानकारी देती है। बांग्लादेश जैसे छोटे मुल्क में अमरीका के अठाईस जहाज, जो टॉक्सिक मेटीरियल लेकर आ रहे थे, उन्हें वापस भेज दिया। आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में बताया है, यह 17 पेज का है, हम जानना नहीं चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, उसका सार यह है कि यह जो टॉक्सिक मेटीरियल है, जो तोड़ा जा रहा है, यह गलत है। आप इस सार से इंकार नहीं कर सकते हैं। बेसल एक्शन नेटवर्क की रिपोर्ट है, जो टॉक्सिक नेटवर्क के बारे में जानती है और कहती है कि यह जहाज, जो अमरीका से टॉक्सिक मैटीरियल लेकर आया है, इसे सुप्रीम कोर्ट और बेसल एक्शन नेटवर्क का भी आदेश है कि इसे वापस करो। बांग्लादेश जैसा देश अठाईस जहाज वापस कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद भारत जैसा बड़ा गणराज्य और आप जैसा योग्य मंत्री सुप्रीम कोर्ट के आदेश और बेसल एक्शन नेटवर्क की रिपोर्ट अपने हाथ में लेकन इस टॉक्सिक मैटीरियल को, जो हेजाड्र्स है, उसे तोड़ने की इजाजत देकर क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश और बेसल एक्शन नेटवर्क की रिपोर्ट की अवमानना नहीं कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो यह कमजोरी, अमरीका के सामने घुटने टेकने की कमजोरी है, बांग्लादेश से भी ज्यादा बड़ी कमजोरी क्या है? मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा।

श्री राम विलास पासवान: सर, माननीय सदस्य ने जो कहा है कि यह बहुत ही सीरियस मामला है, यदि इस तरह का मामला है, तो मैं आज ही इसकी जांच करवाऊंगा। यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की गई होगी, उसमें inaction हुआ होगा या कार्रवाई नहीं हुई होगी, तो उसमें हम जांच करवा कर माननीय सदस्य को सूचित करेंगे और सभा पटल पर भी रखेंगे। अभी हमारे पास जो सूचना आई है, जिसके बारे में हमारे माननीय सदस्य ने पूछा था, it is reported that for the last 14 months from November onwards, no death, no accident has occurred.

श्री अमर सिंह: सर, बेसल एक्शन नेटवर्क के बारे में आप जानकारी करके हमें बताएं कि बेसल एक्शन नेटवर्क की क्या रिपोर्ट है और यह भी बताएं कि बांग्लादेश ने 28 जहाज वापस किए हैं या नहीं और बेसल एक्शन नेटवर्क के कहने के बावजूद अमेरिका से जिस जहाज पर toxic material था, जिसे बांग्लादेश ने अपने यहां नहीं रुकने दिया है, आपकी सरकार ने इसकी इजाजत दी है या नहीं, इसकी निश्चित सूचना हमें दें। अगर आपके पास जानकारी नहीं है और ऑफिसियल दीर्घा से पर्ची नहीं आ रही है, तो आप इसकी जानकारी करके हमें लिख कर बताएं।

श्री राम विलास पासवान: आपकी सारी बातें रेकार्ड हो गई हैं और आपने जो-जो प्वाइंट उठाए हैं, मैं उन सबकी जानकारी आपको भेज दूंगा।

श्री अमर सिंह: बहुत-बहुत धन्यवाद, मान्यवर।

श्री महेन्द्र मोहन: धन्यवाद, सभापति महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहता हूं कि यह जो सवाल है कि जो oceanic ship, जो 250 टन एस्बेस्टस और toxic material लेकर आ रहा था, उन्होंने उत्तर दिया है कि उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कृपया यह पता करके अवश्य बताएं कि यह जहाज अलग में आया अथवा नहीं आया और यदि आया, तो क्या उसे तोड़ने की अनुमति दी गई अथवा नहीं दी गई? इसकी जानकारी सदन को और हमको अवश्य दें।

श्री राम विलास पासवान: सर, अभी हमारे पास जो जवाब है, क्योंकि हमारे पास क्वैश्चन 10 दिन पहले, 7 दिन पहले आता है, उसमें हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं। हम इसको दोबारा confirm कराएंगे और दोबारा पता लगाएंगे कि जो जवाब 'No' में दिया गया है, as reported, उसको दोबारा जांच कर हम आपको बता देंगे।

Heavy metals in ayurvedic medicines

*264.DR. JANARDHAN WAGHMARE:††
SHRIMATI SHOBHANA BHARTIA:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the American drug regulator, Food and Drug Administration (FDA), has recently revised and issued its import alert following recent findings that ayurvedic drugs shipped from India contained high level of toxic heavy metals;

(b) if so, the facts thereof and the details of the companies and names of the ayurvedic drugs to which Government have allowed export and were found to contain detectable levels of heavy metals; and

(c) the steps Government proposes to take to ban manufacture/ sale / export of such ayurvedic drugs which contain toxic heavy metals?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. ANBUMANI RAMADOSS): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The Website of the US Food and Drug Administration (US.FDA) states that "Ayurvedic products are generally not reviewed or approved by the Food and Drug Administration (FDA)". However, the US.FDA has urged the consumers to use caution with Ayurvedic products due to the presence of metal containing products exceeding permissible limits found in them, in the wake of an article published in the August 27th, 2008, issue of the Journal of the American Medical Association (JAMA) which stated that 1/5th of the US manufactured and Indian manufactured Ayurvedic products bought through websites on the internet contain detectable level of lead, mercury or arsenic.

(b) An internet search using 5 internet search engines and the search terms 'Ayurveda and Ayurvedic Medicine' identified 25 websites offering / selling Ayurvedic products. From the 673 identified Ayurvedic products, 230 medicines were randomly selected for purchase between August - October, 2005 and orders placed for their purchase. However, the researchers received only 193 products which were subjected to an analysis using x-ray, fluorescence, spectroscopy and nearly 21% of these products were found to contain detectable levels of lead, mercury or arsenic.

†† The questioni was actually asked on the floor of the House by Shri Janardhan Waghmare.